निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–122/22
दायरा दिनांक :–27.07.22
निर्णय दिनांक :– 12.11.22

उनवान

1. चन्द्रमोहन पुत्र श्री राधेश्याम जाति धाकड़, निवासी तुलसा तहसील बारां
2. मु. शांतिबाई पत्नी स्व. श्री राधेश्याम जाति धाकड़, निवासी तुलसा तहसील बारां
3. महावीर पुत्र श्री राधेश्याम जाति धाकड़, निवासी तुलसा तहसील बारां जिला बारां (राज0)
4. भावना नागर पत्नी श्री रजनिश नागर जाति धाकड़, निवासी तुलसा तहसील बारां

–वादीगण

बनाम

1. विजय कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज जाति धाकड. निवासी तुलसा तहसील बारां,
2. हेमंत कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज जाति धाकड. निवासी तुलसा तहसील बारां,
3. मांगीबाई पत्नी स्व. श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज जाति धाकड. निवासी तुलसा तहसील बारां,
4. पिंकीबाई पुत्री स्व. श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज जाति धाकड. निवासी तुलसा तहसील बारां,
5. कमलेशबाई पुत्री स्व. श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज जाति धाकड. निवासी तुलसा तह0 बारां,
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 48,49,50,51,52 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 12.11.22
अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन एड0– वादी
2 श्री राजेन्द्र गोस्वामी एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 48,49,50,51,52 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल तुलसा पटवार हल्का तुलसा, तहसील बारां, जिला बारां की खाता सं0 209 पुराना 207 की आराजी खसरा नं0 1169 बाडी रकबा 0.45 है0 खसरा नं0 338 टूकड़ी रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 339 टूकडी रकबा 0.26 हे0, खसरा नं0 57 रकबा 1.98 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.73 है0 बखाता चन्द्रमोहन पुत्र श्री राधेश्याम हिस्सा 1/3, मु. शांतिबाई पत्नी स्व श्री राधेश्याम हिस्सा 1/3, महावीर पुत्र श्री राधेश्याम हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार वाके माल तुलसा, पटवार हल्का तुलसा, तहसील बारां की खाता सं0 नया 216 पुराना 213 की खसरा नं0 302 कांकड वाला रकबा ... खसरा नं0 303 कांकड वाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:29:06 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला बारॉं (राज०)

Scanned with CamScanner

रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 619 रकबा 1.82 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हे0 बखाता भावना नागर पत्नि रजनिश नागर हिस्सा पूर्ण राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार वाके माल रटावद, पटवार हल्का रटावद, तहसील बारां की खाता सं. नया 58 पुराना 63 की आराजी खसरा नं. 865 रकबा 3.71 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 3.71 हे0 बखाता कमलेशबाई पुत्री श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/5, पिंकीबाई पुत्री श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/5, मांगी बाई पत्नि स्व. चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/5, विजय कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/5, हेमंत कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/5, राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार वाके माल रटावद, पटवार हल्का रटावद, तहसील बारां की खाता सं. नया 63 पुराना 68 की आराजी खसरा नं. 899 कुल किता 1 कुल रकबा 0.12 है0 बखाता कमलेश बाई पुत्री श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/10, पिंकी बाई पुत्री श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/10, मांगीबाई पत्नि श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/10, विजय कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/10, हेमंत कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/10, किशनगोपाल पुत्र बद्रीलाल हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में बहेसियत खातेदार दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजियात मद नं0 में से खाता सं0 नया 209 पुराना 207 खसरा नं0 57 रकबा 1.98 है0, जो वादी कम 1 ता 3 कमशः चन्दमोहन, मु. शांतिबाई व महावीर के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज है व खाता सं0 नया 216 पुराना 213 की आराजी खसरा नं0 619 रकबा 1.82 हे0 जो राजस्व रिकार्ड में बहेसियत खातेदार वादी कम 4 भावना नागर पत्नि रजनिश नागर के नाम दर्ज है, जो वादीगण की मिलाकर 3.80 हे0 आराजियात प्रतिवादी कम 1 ता 5 की आराजियात के पास स्थित है। इसलिए सुविधा, उपयोग–उपभोग व कब्जे के आधार पर उक्त वर्णित आराजियात मद नंबर 3 जो राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज है, को प्रतिवादी कम 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने में वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उक्त आराजियात की काश्त व्यवस्था प्रतिवादी कम 1 ता 5 ही करते चले आ रहे है।

वाके माल रटावद पटवार हल्का रटावद, तहसील बारां की उपरोक्त वर्णित आराजियात म. न.–1 में से खाता सं0 नया 58 पुराना 63 की आराजी खसरा नं0 865 रकबा 3.71 हे0 जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 1 ता 5 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है व खाता सं0 नया 63 पुराना 68 की आराजी खसरा नं0 899 रकबा 0.12 हे0 में प्रतिवादी कम 1 ता 5 का 1/2 हिस्सा 0.06 है, राजस्व रिकार्ड मे बहेसियत खातेदार दर्ज है। उक्त आराजियात वादीगण की आराजियात के पास स्थित है। उक्त आराजियात की उचित काश्त व्यवस्था व उपयोग व उपभोग वादीगण ही करते चले आ रहे है। इसलिए उक्त आराजियात में से खाता सं0 नया 58 पुराना 63 की आराजी [illegible] नं0 865 रकबा 3.71 हे. में से 1.82 हे0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:29:06 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष

उपखण्ड अधिकारी
बारां

सदस्य सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला बारां (राज॰)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी क्रम 4 भावना नागर व शेष रकबा 1.80 है वादी क्रम 1 ता 3 के नाम व खाता सं0 नया 63 व पुराना 58 की आराजी खसरा नं0 800 रकबा 0.12 है0 में से 1/2 यानी 0.06 है0 आराजी भी वादीक्रम 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आराजियात पर काश्त व्यवस्था वादीगण ही करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजियात वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 आपसी सहमति से उचित काश्त व्यवस्था, सुविधा व कब्जे को देखते हुए दोनों की आराजियात अलग–अलग गांव से एक ही गांव में एक साथ हो जाने व काश्त व्यवस्था अच्छी तरह से सुचारू हो सके, इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजीयात एक्सचेंज करवाना चाहते हैं। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा एक्सचेंज की जा रही आराजीयात समान रकबे से अधिक रकबे पर एक्सचेंज शुल्क पंजीयन कार्यालय में जमा करवाने को तैयार हैं। उपरोक्त वर्णित आराजियात के उपयोग व उपभोग व कब्जे की सुविधा के आधार पर दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से दिनांक 15.06.2022 को प्रतिवादी क्रम 6 तहसीलदार साहब बारां से उपरोक्तानुसार एक्सचेंज कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 6 द्वारा असमर्थता जाहिर कर सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने की सलाह देने पर यह वादी माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यह दिनांक 15.06.2022 को प्रतिवादी क्रम 6 तहसीलदार साहब बारां द्वारा सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने की सलाह दिए जाने पर वाद कारण अंतिम बार दिनांक 15.06.2022 को उत्पन्न हुआ, अस्तु वाद अंदर मियाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबंदी ग्राम तुलसा सम्वत् 2073–76 खाता सं0 209, नकल जमाबन्दी ग्राम तुलसा सम्वत् 2073–76 खाता सं0 216, नकल जमाबंदी ग्राम रटावद सम्वत् 2072–75 खाता सं0 58, नकल जमाबंदी ग्राम रटावद सम्वत् 2072–75 खाता सं0 63 पेश की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत मे उभय पक्षकारान द्वारा उप होकर राजीनामा पेश किया गया है। कि वाके माल तुलसा पटवार हल्का तुलसा, तहसील बारां, जिला बारां की खाता सं0 209 पुराना 207 की आराजी खसरा नं0 1169 बाडी रकबा 0.45 है0 खसरा नं0 338 टूकड़ी रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 339 टूकडी रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 57 रकबा 1.98 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.73 है0 बखाता चन्द्रमोहन पुत्र श्री राधेश्याम हिस्सा 1/3, मु. शांतिबाई पत्नी स्व श्री राधेश्याम हिस्सा 1/3, महावीर पुत्र श्री राधेश्याम हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में बहेसियत खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार वाके माल तुलसा, पटवार हल्का तुलसा तहसील बारां की खाता सं0 नया 216 पुराना 213 की खसरा नं0 302 काकड वाला रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 303 काकड [illegible] 0.20 है0, खसरा नं0 619 रकबा 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:29:06 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष

उपखण्ड अधिकारी
बारां

सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला बारां (राज०)

... पुनार पुत्र स्व. श्री

Scanned with CamScanner

82 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हे0 बखाता भावना नागर पत्नि रजनिश नागर हिस्सा पुर्ण राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी में से खसरा नं0 57 रकबा 1.98 हे0 एवं खसरा नं0 619 रकबा 1.82 हे0 प्रतिवादी कम 1 ता 5 विजय कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज, पिंकीबाई पुत्री श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज, मांगी बाई पत्नि स्व. चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज, कमलेश पुत्री श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज, हेमंत कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज, जातिगण धाकड़ निवासीगण ग्राम तुलसां व जिला बारां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। इसी प्रकार वाके माल ग्राम रटावद पटवार हल्का रटावद तहसील बारां की खाता सं0 नया 58 पुराना 63 की आराजी खसरा नं0 865 रकबा 3.71 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 3.71 है0 बखाता कमलेशबाई पुत्री श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/5, पिंकीबाई पुत्री श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/5, मांगी बाई पत्नि स्व. चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/5, विजय कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/5, हेमंत कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/5, राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज है। तथा इसी प्रकार वाके माल रटावद, पटवार हल्का रटावद, तहसील बारां की खाता सं. नया 63 पुरान 68 की आराजी खसरा नं. 899 कुल किता 1 कुल रकबा 0.12 है0 बखाता कमलेश बाई पुत्री श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/10, पिंकी बाई पुत्री श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/10, मांगीबाई पत्नि श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज. हिस्सा 1/10, विजय कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/10, हेमंत कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज हिस्सा 1/10, किशनगोपाल पुत्र बद्रीलाल हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में बहेसियत खातेदार दर्ज है।

उक्त आराजी में से खसरा नं0 865 रकबा 3.71 है0 एवं खसरा नं0 899 रकबा 0.12 है0 में से 0.06 है0 चन्द्रमोहन पुत्र श्री राधेश्याम, मु. शान्ति बाई पत्नी श्री राधेश्याम, महावीर पुत्र श्री राधेश्याम, भावना नागर पत्नी श्री रजनीश जातिगण धाकड़ निवासीगण ग्राम तुलसां तहसील व जिला बारां के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जावे।

राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार राजीनामें के आधार पर वाद डिक्री किये जाने में हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अब वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 5 के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है तथा प्रतिवादी कम 01 ता 05 को अधिक प्राप्त हुये 0.03 हे0 आराजी बाबत भी हम पक्षकारान में किसी तरह का कोई विवाद शेष नहीं है। समान रकबे से अधिक बढ़े हुए रकबे 0.03 है0 पर न्यायालय आदेशानुसार एक्सचेंज राशि उप पंजीयन कार्यालय में जमा करवाने को हम सहमत है। पक्षकारान की ओर से जर्ये अभिभाषक राजीनामा पेश किया गया प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। उनके द्वारा राजीनामा सुनकर समझ कर [illegible] गया। तथा अपनी सहमति जाहिर की जिसकी पहचान उनके अभिभाषक द्वारा [illegible] प्रस्तुत राजीनामा सहमति व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:29:06 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

सदस्य सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner

सन्तुष्टी के आधार पर तस्दीक किया कजाकर शा0मि0 किया गया। अतः वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। आराजी वाके ग्राम तुलसां तह0 बारां के ख0 नं0 57 रकबा 1.98 हे0 एवं ख0 नं0 619 रकबा 1.82 हे0 प्रतिवादी कम 1 ता 5 के खातेदारी में तथा ग्राम रटावद तह0 बारां के खसरा नं0 865 रकबा 3.71 है0 एवं खसरा नं0 899 रकबा 0.12 हे. में से 0.06 हे0 वादीगण के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है प्रतिवादी कम 1 ता 5 को 0.03 हे0 भूमि अधिक प्राप्त हुई है 0.03 है0 भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 की दर से प्रतिवादी कम 1 ता 5 स्टाम ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क तहसील कार्यालय में जमा करावें। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

अध्यक्ष

सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:29:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 122/2022	अन्तर्गत 48,49,50,51,52 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक :- 12.11.20222
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी—श्री राजेन्द्र कुमार सुमन एड0	अभिभाषक प्रतिवादी— श्री राजेन्द्र गोस्वामी एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. चन्द्रमोहन पुत्र श्री राधेश्याम जाति धाकड, निवासी तुलसा तहसील बारां
2. मु. शांतिबाई पत्नी स्व. श्री राधेश्याम जाति धाकड, निवासी तुलसा तहसील बारां
3. महावीर पुत्र श्री राधेश्याम जाति धाकड, निवासी तुलसा तहसील बारां जिला बारां (राज0)
4. भावना नागर पत्नी श्री रजनिश नागर जाति धाकड, निवासी तुलसा तहसील बारां

बनाम

1. विजय कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज जाति धाकड, निवासी तुलसा तहसील बारां,
2. हेमंत कुमार पुत्र श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज जाति धाकड, निवासी तुलसा तहसील बारां,
3. मांगीबाई पत्नी स्व. श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज जाति धाकड, निवासी तुलसा तहसील बारां,
4. पिंकीबाई पुत्री स्व. श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज जाति धाकड, निवासी तुलसा तहसील बारां,
5. कमलेशबाई पुत्री स्व. श्री चम्पालाल उर्फ चर्तुभुज जाति धाकड, निवासी तुलसा तह0 बारां,
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) —प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। आराजी वाके ग्राम तुलसां तह0 बारां के ख0 नं0 57 रकबा 1.98 हे0 एवं ख0 नं0 619 रकबा 1.82 हे0 प्रतिवादी कम 1 ता 5 के खातेदारी में तथा ग्राम रटावद तह0 बारां के खसरा नं0 865 रकबा 3.71 हे0 एवं खसरा नं0 899 रकबा 0.12 हे. में से 0.06 हे0 वादीगण के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है प्रतिवादी कम 1 ता 5 को 0.03 हे0 भूमि अधिक प्राप्त हुई है। 0.03 हे0 भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 की दर से प्रतिवादी कम 1 ता 5 स्टाम ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क तहसील कार्यालय में जमा करावें।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 12.11.22 को निर्गत किया गया।

अध्यक्ष / सदस्य — लोक अदालत, विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बारां (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला—बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:29:06 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		

Scanned with CamScanner